क्रम-संख्या–197 (क–1)

रजिस्ट्रेशन नम्बर–एस0एस0पी0/एल0-डब्लू/एन0पी0–91/2014–16

लाइसेन्स टू पोस्ट ऐट कन्सेशनल रेट

सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट

भाग–4, खण्ड (क)

(सामान्य परिनियम नियम)

लखनऊ, बृहस्पतिवार, 11 दिसम्बर, 2025

अग्रहायण 20, 1947 शक सम्वत्

उत्तर प्रदेश शासन

परिवहन अनुभाग–3

———

संख्या 129/2025–2853–तीस-3–2025

लखनऊ, 11 दिसम्बर, 2025

———

अधिसूचना

सा0प0नि0–74

चूंकि साधारण खण्ड अधिनियम, 1897 (अधिनियम संख्या 10, सन् 1897) की धारा 21 के साथ पठित मोटर यान अधिनियम, 1988 (अधिनियम संख्या 59, सन् 1988) की धारा 28, 38, 65, 96 और 138 के अधीन शक्तियों का प्रयोग करके, राज्यपाल, जिस उत्तर प्रदेश मोटरयान (इकतीसवां संशोधन) नियमावली, 2025 को बनाने का प्रस्ताव करते हैं, उसे पूर्वोक्त अधिनियम सन् 1988 की धारा 212 की उपधारा (1) के अधीन यथाअपेक्षित अधिसूचना संख्या–32/2025/1004/तीस–3–2025, दिनांक 22 अप्रैल, 2025 द्वारा उक्त अधिसूचना के गजट में प्रकाशित किये जाने के दिनांक से तीस दिवस की अवधि के भीतर उसके सम्बन्ध में आपत्तियां एवं सुझाव आमंत्रित करते हुए प्रकाशित किया गया था;

और, चूंकि, प्रस्ताावित नियमावली के सम्बन्ध में विहित अवधि के भीतर किसी से कोई आपत्ति एवं सुझाव प्राप्त नहीं हुआ;

अतएव, अब, साधारण खण्ड अधिनियम, 1897 (अधिनियम संख्या 10 सन् 1897) की धारा 21 के साथ पठित मोटर यान अधिनियम, 1988 (अधिनियम संख्या 59, सन् 1988) की धारा 28, 38, 65, 96 और 138 के अधीन शक्तियों का प्रयोग करके, राज्यपाल उत्तर प्रदेश मोटर यान नियमावली, 1998 को संशोधित करने की दृष्टि से निम्नलिखित नियमावली बनाते हैं अर्थात्:–

उत्तर प्रदेश मोटर यान (इकतीसवां संशोधन) नियमावली, 2025

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ

1 (1) यह नियमावली उत्तर प्रदेश मोटर यान (इकतीसवां संशोधन) नियमावली, 2025 कही जाएगी।

(2) यह सरकारी गजट में प्रकाशित किये जाने के दिनांक से प्रवृत्त होगी।

नियम 3 का संशोधन

2–उत्तर प्रदेश मोटरयान नियमावली, 1998, जिसे आगे ''उक्त नियमावली'' कहा गया है, में, नीचे स्तम्भ–एक में दिये गये विद्यमान नियम 3 के स्थान पर स्तम्भ–दो में दिया गया नियम रख दिया जायेगा, अर्थात्:–

स्तम्भ–एक विद्यमान नियम	स्तम्भ–दो एतद्द्वारा प्रतिस्थापित नियम
अनुज्ञापन प्राधिकारी– सम्भागीय परिवहन अधिकारी या सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी या परिवहन विभाग का ऐसा सम्भागीय निरीक्षक या सहायक सम्भागीय निरीक्षक, जो सम्भागीय परिवहन अधिकारी या सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी द्वारा इस अध्याय के अधीन अनुज्ञापन प्राधिकारी के कर्तव्यों का निर्वहन करने के लिए, प्राधिकृत किया गया हो, अनुज्ञापन प्राधिकारी होगा।	**अनुज्ञापन प्राधिकारी**– 3–अनुज्ञापन प्राधिकारी, सम्भागीय परिवहन अधिकारी या सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी या परिवहन विभाग का ऐसा मोटर यान निरीक्षक होगा जैसा कि सम्भागीय परिवहन अधिकारी या सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी द्वारा इस अध्याय के अधीन अनुज्ञापन प्राधिकारी के कर्तव्यों का पालन करने के लिए, प्राधिकृत किया गया हो।

नियम 19 का संशोधन

3–उक्त नियमावली में, नीचे स्तम्भ–एक में दिये गये विद्यमान नियम 19 के स्थान पर स्तम्भ–दो में दिया गया नियम रख दिया जायेगा, अर्थातः–

स्तम्भ–एक विद्यमान नियम	स्तम्भ–दो एतद्द्वारा प्रतिस्थापित नियम
19–अनुज्ञापन प्राधिकारी– अधिनियम के अध्याय–तीन के अधीन परिवहन विभाग का सम्भागीय परिवहन अधिकारी, सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी या ऐसा सम्भागीय निरीक्षक या सहायक सम्भागीय निरीक्षक होगा जैसा कि सम्भागीय परिवहन अधिकारी या सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी द्वारा अनुज्ञापन प्राधिकारी के कर्तव्यों का सम्पादन करने के लिए प्राधिकृत किया गया हो।	**अनुज्ञापन प्राधिकारी**– 19–अधिनियम के अध्याय–तीन के अधीन अनुज्ञापन प्राधिकारी, सम्भागीय परिवहन अधिकारी या सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी या परिवहन विभाग का ऐसा मोटर यान निरीक्षक होगा जैसा कि सम्भागीय परिवहन अधिकारी या सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी द्वारा अनुज्ञापन प्राधिकारी के कर्तव्यों का पालन करने के लिए प्राधिकृत किया गया हो।

नियम 37 का संशोधन

4–उक्त नियमावली में, नीचे स्तम्भ–एक में दिये गये नियम 37 के विद्यमान उपनियम (1) के स्थान पर स्तम्भ–दो में दिया गया उपनियम रख दिया जायेगा, अर्थातः–

स्तम्भ–एक विद्यमान उप नियम	स्तम्भ–दो एतद्द्वारा प्रतिस्थापित उप नियम
(1) रजिस्ट्रीकर्ता प्राधिकारी सम्भागीय परिवहन अधिकारी या सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी या परिवहन विभाग का ऐसा सम्भागीय निरीक्षक या सहायक सम्भागीय निरीक्षक होगा जैसा सम्भागीय परिवहन अधिकारी या सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी द्वारा अधिनियम और तद्धीन बनाये गये नियमों के उपबन्धों के अधीन रजिस्ट्रीकर्ता प्राधिकारी के कर्तव्यों का सम्पादन करने के लिए प्राधिकृत किया जाय।	(1) रजिस्ट्रीकर्ता प्राधिकारी, सम्भागीय परिवहन अधिकारी या सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी या परिवहन विभाग का ऐसा मोटर यान निरीक्षक होगा जैसा कि सम्भागीय परिवहन अधिकारी या सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी द्वारा अधिनियम और तद्धीन बनायी गयी नियमावली के उपबन्धों के अधीन रजिस्ट्रीकर्ता प्राधिकारी के कर्तव्यों का पालन करने के लिए प्राधिकृत किया गया हो।

आज्ञा से,

अर्चना अग्रवाल,

अपर मुख्य सचिव।

IN pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of the notification no. 129/2025/2853/XXX-3-2025, dated December 11, 2025 :

No. 129/2025/2853/XXX-3-2025

Dated Lucknow, December 11, 2025

WHEREAS the Uttar Pradesh Motor Vehicles (Thirty-first Amendment) Rules, 2025 which the Governor proposes to make in exercise of the powers under Sections 28, 38, 65, 96 and 138 of the Motor Vehicles Act, 1988 (Act no. 59 of 1988) *read* with Section 21 of the General Clauses Act, 1897 (Act no. 10 of 1897) was published *vide* Notification no. 32/2025/1004/XXX-3-2025 dated April 22, 2025 as required under sub-section (1) of Section 212 of the aforesaid Act of 1988 inviting objections and suggestions in respect thereof within a period of thirty days from the date of publication of the said notification in the *Gazette;*

AND WHEREAS no objection and suggestion was received from anyone within the prescribed period with respect to the proposed rules;

NOW, THEREFORE, in exercise of the powers under Sections 28, 38, 65, 96 and 138 of the Motor Vehicles Act, 1988 (Act no. 59 of 1988) *read* with Section 21 of the General Clauses Act, 1897 (Act no. 10 of 1897), the Governor is pleased to make the following rules with a view to amend the Uttar Pradesh Motor Vehicles Rules, 1998, namely:–

THE UTTAR PRADESH MOTOR VEHICLES (THIRTY-FIRST AMENDMENT) RULES, 2025

Short title and commencement

1.(1) These rules may be called the Uttar Pradesh Motor Vehicles (Thirty-first Amendment) Rules, 2025.

(2) They shall come into force with effect from the date of their publication in the Official *Gazette.*

Amendment of rule 3

2. In the Uttar Pradesh Motor Vehicles Rules, 1998, hereinafter referred to as the "said rules", *for* the existing rule 3 set out in Column-I below, the rule as set out in Column-II shall be *substituted,* namely :–

COLUMN-I *(Existing rule)*	COLUMN-II *(Rule as hereby substituted)*
Licensing authority 3. The licensing authority shall be the Regional Transport Officer or the Assistant Regional Transport Officer or such Regional Inspector or the Assistant Regional Inspector of the Transport Department as is authorised by the Regional Transport Officer or the Assistant Regional Transport Officer to perform the duties of a licensing authority under this chapter.	**Licensing authority** 3. The licensing authority shall be the Regional Transport Officer or the Assistant Regional Transport Officer or such Motor Vehicle Inspector of the Transport Department as is authorised by the Regional Transport Officer or the Assistant Regional Transport Officer to perform the duties of a licensing authority under this Chapter.

Amendment of rule 19

3. In the said rules, *for* the existing rule 19 set out in Column-I below, the rule as set out in Column-II shall be *substituted,* namely :–

COLUMN-I *(Existing rule)*	COLUMN-II *(Rule as hereby substituted)*
Licensing authority 19. The licensing authority under Chapter III of the Act shall be the Regional Transport Officer or the Assistant Regional Transport Officer or such Regional Inspector or the Assistant Regional Inspector of the Transport Department as is authorised by the Regional Transport Officer or the Assistant Regional Transport Officer to perform the duties of a licensing authority.	**Licensing authority** 19. The licensing authority under Chapter III of the Act shall be the Regional Transport Officer or the Assistant Regional Transport Officer or such Motor Vehicle Inspector of the Transport Department as is authorised by the Regional Transport Officer or the Assistant Regional Transport Officer to perform the duties of a licensing authority.

Amendment of rule 37

4. In the said rules, *for* the existing sub-rule (1) of rule 37 set out in Column-I below, the sub-rule as set out in Column-II shall be *substituted,* namely :-

COLUMN-I	COLUMN-II
(Existing Sub-rule)	*(Sub-Rule as hereby substituted)*
(1) The registering authority shall be the Regional Transport Officer or Assistant Regional Transport Officer or such Regional Inspector of the Transport Department as is authorised by the Regional Transport Officer or Assistant Regional Transport Officer to perform the duties of the registering authority under the provisions of the Act and the rules made there under.	(1) The registering authority shall be the Regional Transport Officer or Assistant Regional Transport Officer or such Motor Vehicle Inspector of the Transport Department as is authorised by the Regional Transport Officer or Assistant Regional Transport Officer to perform the duties of the registering authority under the provisions of the Act and the rules made there under.

By order,
ARCHANA AGARWAL,
Apar Mukhya Sachiv.

पी0एस0यू0पी0–ए0पी0 289 राजपत्र–2025–(847)–599+25=624प्रतियां (कम्प्यूटर / टी0 / ऑफसेट)।